locomotives had gone heavily into arrears, since then there has been substantial improvement especially from 1979-80 onwards.

(c) Yes.

(d) Steam locomotives are being condemned to the maximum extent possible and it is also the aim to reduce classes of steam locos and eliminate these from certain areas farther awaw from the coalfields to the extent feasible. In pursuance of this policy, 866 steam locos will be condemned during 1982-83. Broad Gauge steam working has been stopped on Southern Railway.

Assistance to Leprosy Treatment Centres by Central Government

5185. SHRI NARSING SURYAWANSHI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number and names of leprosy treatment centres working in the country and those receiving assistance from the Central Government;

(b) what are the proposals for increasing the number of these centres;

(c) whether there is a proposal for a national plan to eradicate this disease; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) The number and names of the leprosy treatment centres in the country are as under:—

Name of the Centre	Number
1. Leprosy Control Units	389
2. Urban Leprosy Centres	607
3. Survey, Education & Treatment Centres	6,955
4. Wards for Temporary Hospitalisation	243
5. Reconstructive Surgery Units	74
6. Voluntary Survey, Education & Treatment Centres	50
7. Leprosy Homes and Hospitals	231

All the above centres are either fully or partly assisted by the Government.

(b) During the year 1983-84, the following centres are proposed to be added:

Name of the Centre	Number to be added during 1983-84
1. Leprosy Control Units	7
2. Urban Leprosy Centres	52
3. Survey Education & Treatment Centres	51
4. Wards for Temporary Hospitalisation	10
5. Reconstructive Surgery Units	2

(c) Yes.

(d) The Government of India had constituted a Working Group, under the Chairmanship of Dr. M. S. Swaminathan, the then Member, Planning Commission, to evolve a strategy for eradication of leprosy from the country by the turn of the century. The recommendations of the Group have been considered by the Government and it has been decided by the Government to redesignate the National Leprosy Control Programme as the National Leprosy Eradication Programme, with new strategy and actions, providing for early case detection, regular treatment, treatment with multi-drug-regimen in a phased manner in districts where the incidence of leprosy is high, health education and public co-operation, augmentation of training and research, rehabilitation and welfare of patients, encouragement to voluntary participation etc. For guiding the implementation of the Programme a National Leprosy Eradication Commission will be set up of which the Chairman will be the Union Minister for Health and Family Welfare. For the effective execution of the policies approved by the Commission, it has been decided to have a National Leprosy Eradication Board, headed by the Secretary, Union Minister of Health and Family Welfare. In the States

where there is a high incidence of leprosy, there will be similar policy guidance and implementation bodies under the chairmanship of the Chief Minister and the State Health Secretary respectively of the concerned States.

रेलवे की भूमि के आवंटन संबंधी नियम

5186. **प्रो. सत्यदेव सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे की भूमि के आवंटन संबंधी नियम क्या हैं;

(ख) क्या भूमि के आवंटन में भूतपूर्व रेल कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों, हरिजनों अल्पसंख्यकों और भूमिहीनों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था है;

(ग) एक व्यक्ति को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की जा सकती है और क्या भूमि के आवंटन के समय अधिकतम भूमि सीमा नियमों को ध्यान में रखा जाता है;

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे में छपरा और बलिया के बीच माझी में रेलवे की कितनी भूमि आवंटित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) से (ग): संभवत: माननीय सदस्य "अधिक अन्न उपजाओ" प्रयोजनों के लिये रेलवे भूमि को लाइसेंस पर देने संबंध में निर्धारित मानदण्डों के बारे में जानना चाहते हैं। ये मानदंड गई, 1976 में निर्धारित किये गये थे। इन मानदंडों के अनुसार, रेलवे भूमि आमतौर पर लगभग दो-दो एकड़ के प्लाटों में बांटी जाती है और बाहरी व्यक्तियों तथा रेल कर्मचारियों, दोनों को लाइसेंस पर दी जाती है। ऐसा करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा अन्य भूमिहीन गरीबों को तरजीह दी जाती है। इन प्रयोजनों के लिये लाइसेंस पर दी गयी रेलवे भूमि बिहार सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतर सीमाओं के अंतर्गत नहीं आती।

(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अधिक अन्न उपजाओ योजना के संबंध में 1959-60 से 31-3-1965 तक 5 वर्ष के लिए छपरा और बलिया के बीच माझी में 32 एकड़ रेलवे भूमि का पट्टा शुरू में श्री हरदेव यादव तथा कुछ अन्य लोगों को दिया गया था। बाद में, श्री यादव को समय-समय पर 32 से 37 एकड़ तक भूमि जाने के लिए अनुमति दी गयी थी। बढ़ायी गयी अंतिम समयावधि 31-3-82 को समाप्त हो गयी। किन्तु 1982 की तीसरी तिमाही में, इस क्षेत्र के भू-उपयोग के बारे में सावधानी से विचार किया गया तो माझी स्थित भूमि को रेलवे की तात्कालिक और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया कि श्री यादव के कब्जे वाली 37 एकड़ भूमि में से लगभग 15 एकड़ भूमि रेलवे को दीर्घ-कालिक आवश्यकताओं से फालतू है। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, रेलवे को राज्य सरकार के माध्यम से 15 एकड़ भूमि मौजूदा बाजार भाव श्री यादव के लिए मुक्त करने के निर्देश दिये गये हैं, बशर्ते कि श्री यादव शेष 22 एकड़ भूमि रेलवे को सौंप दें।

चिचाकी स्टेशन पर सियालदह तथा जम्मूतवी एक्सप्रेस को ठहराव देना

5187. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या धनबाद और कोडरमा रोवं स्टेशनों के बीच चिचाकी स्टेशन पर 15 नवंबर, 1982 (दीवाली) के दिन लगभग 20 हजार लोगों ने उस स्टेशन पर सिहायालदह एक्सप्रेस के 2 मिनट ठहराव की मांग को लेकर 24 घंटे तक रेल यातायात को रोक कर एक आंदोलन आरंभ किया था;

(ख) क्या सरकार का ध्यान अप्रेल 1983 से प्रभावी होने वाली अगली रेलवे समय सारणी तैयार करते समय धनबाद तथा कोडरमा रेलवे स्टेशनों के बीच चिचाकी स्टेशन पर सियालदह तथा जम्मूतवी एक्सप्रेस को ठहराव देने का है; और